राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ.13(2)(16)सासु/वृ0क0/सान्याअवि/21–22/3123-3156 जयपुर, दिनांकः 28/1/22

उप निदेशक/सहायक निदेशक,
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.... समस्त

विषय :– वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 एवं राजस्थान वृद्धाश्रम संचालन योजना, 2013 में किये संशोधन बाबत्।

प्रसंग :– श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर का आदेश क्रमांक सान्याअवि/स.आ.द्वार/2014/5674 दिनांक 30–06–2014।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2014 में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से उक्त प्रासंगिक आदेश द्वारा "वृद्धाश्रम संचालन नियम–2006" के नियम 5(1) एवं (2) तथा "राजस्थान वृद्धाश्रम संचालन योजना–2013" के दिशा–निर्देश बिन्दु संख्या 24(1) से (3) में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन आदेश की प्रति इस पत्र के साथ आपको प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आपके कार्यालय के रिकॉर्ड में यथास्थान पर रखना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13(2)(16)सासु/वृ0क0/सान्याअवि/21–22/3157 जयपुर, दिनांकः 28/1/22

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी, मुख्यावास, जयपुर को देकर अनुरोध है कि उक्त संशोधन आदेश को विभागीय वेब–साईट पर संबंधित नियमों के साथ अपलोड कराने का श्रम करावें।

28/1/XXII

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

D/Rarendra/OH Theh and Dstt/Genrel

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
("सरकार आपके द्वार अभियान" कैम्प–बीकानेर)

क्रमांकः–सान्याअवि/स.आ.द्वार/2014/5674

दिनांकः– 30.6.14

आदेश

"सरकार आपके द्वार अभियान" के दौरान वृद्धाश्रम बीकानेर का विजिट किया गया एवं इसके संचालन में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के फलस्वरूप वृद्धाश्रम संचालन नियम 2006 एवं नियम 2013 में शिथिलता प्रदान कर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1– वृद्धाश्रम संचालन नियम–2013 के बिन्दु सं. 24 (1) में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरूष व महिलायें । 2– गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) सूची में पंजीकृत होने से वंचित रहे वृद्धजन घर से प्रताडित, निर्धन, निराश्रित,असहाय व्यक्ति हो, को भी वृद्धाश्रम में प्रवेश मिल सकेगा । ऐसे वृद्धजन को वृद्धाश्रम में प्रवेश प्रदान करने की अनुमति के लिए जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति एवं तहसील स्तर पर तहसील स्तरीय समिति अधिकृत होगी ।	1– असहाय, जरूरतमंद 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों को प्रवेश दिया जा सकेगा। 2–जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या संस्था संचालक के अनुमोदन के पश्चात या प्रार्थी वृद्ध द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा ।
(3) संचालक द्वारा वृद्धाश्रमों को बीपीएल परिवारों अथवा अन्य निर्धन, निराश्रित, असहाय, वृद्धों हेतु निःशुल्क रखे जाने के लिये वाध्य होगा तथा इस तथ्य को प्रशासनिक विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित करने पर राज्य सरकार से नियमानुसार राशि प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा ।	3– संचालक वृद्धाश्रम में असहाय, जरूरतमंद वृद्धों हेतु निःशुल्क रखे जाने के लिये वाध्य होगा तथा इस तथ्य को प्रशासनिक विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित करने पर राज्य सरकार से नियमानुसार राशि प्राप्त करने के लिये अधिकृत होगा ।
2– वृद्धाश्रम संचालन नियम–2006 के बिन्दू संख्या 5(1) के अनुसार वृद्ध व्यक्ति राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये (2) वृद्ध महिला/पुरूष की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक न हो (3) वृद्ध व्यक्ति निःसहाय एवं निराश्रित हो (4)वृद्ध व्यक्ति संतानहीन एवं स्वयं के परिवार से प्रताडित हो (5) वृद्ध व्यक्ति आजीविका चलाने में असमर्थ हो (6) वृद्ध व्यक्ति छूत या संक्रामक रोग से पीडित नही हो (7).वृद्ध व्यक्ति पागल या विक्षिप्त नही हो (8) वृद्ध व्यक्ति भिखारी नही हो	2–वृद्धाश्रम संचालन नियम–2006 के बिन्दू संख्या 5(1) के अनुसार देश के किसी भी राज्य के पात्र वृद्ध को प्रवेश दिया जा सकेगा। (2)– असहाय, जरूरतमंद 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला व 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों को प्रवेश दिया जा सकेगा। (3) से (8) विलोपित

उपरोक्त संशाधित नियम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित राजकीय वृद्धाश्रम के लिए मान्य होंगे।

(डॉ मनजीत सिंह) 30/6/14
प्रमुख शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर
कैम्प बीकानेर

क्रमांकः–सान्याअवि/स.आ.द्वार/2014/5675–5679

दिनांकः– 30.6.14

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. जिला कलक्टर महोदया, बीकानेर।
4. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर ।
5. अधीक्षक, वृद्धाश्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर ।

30/6/14
प्रमुख शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर

Scanned by CamScanner